भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001

सं0 ईसीआई/प्रेस नोट/26/2015 दिनांक : 23 मार्च, 2015

<u>प्रेस नोट</u>

विषय: 315- फरेन्दा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उप-निर्वाचन।

आयोग ने, उत्तर प्रदेश में 315- फरेन्दा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उप-निर्वाचन सहित दूसरे उप-निर्वाचनों के लिए अनुसूची अपने प्रेस नोट ईसीआई/प्रेस नोट/23/2015, दिनांक 10 मार्च, 2015 के द्वारा घोषित कर दी थी।

माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वर्ष 2015 की रिट याचिका संख्या 14270 (श्री बजरंग बहादुर सिंह द्वारा दायर) में दिनांक 20-03-2015 को पारित अपने आदेश द्वारा उत्तर प्रदेश में 315-फरेन्दा से वर्तमान उप-निर्वाचन को रोक दिया था। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने हेतु, आयोग ने माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक विशेष अनुमति याचिका (भारत निर्वाचन आयोग बनाम बजरंग बहादुर सिंह और अन्य एस एल पी (सिविल) वर्ष 2015 की सं. 8850) दायर की। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त एस एल पी पर आज (दिनांक 23.03.2015 को) माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के दिनांक 20.03.2015 के आदेश पर रोक लगा दी है।

उपर्युक्त के आलोक में, ऊपर उल्लिखित उप-निर्वाचन के लिए निर्वाचन प्रक्रिया अनुसूची के अनुसार जारी रहेगी। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी/निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी को सूचित कर दिया गया है। उनसे यह भी अनुरोध किया गया है कि वे राजनैतिक दलों को भी सूचित कर दें। इसके अतिरिक्त, उनसे यह भी अनुरोध किया गया है कि वे मीडिया के द्वारा व्यापक प्रचार करें ताकि राजनैतिक दल और जन-साधारण यह जान सकें कि निर्वाचन प्रक्रिया जारी है।

(धीरेन्द्र ओझा)

निदेशक